न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलजीसीएमएस संख्या 2024/541

1. कालूराम पुत्र प्रभाता
2. शांति देवी पत्नि प्रभाता
   समस्त जाति अहिर निवासी ग्राम कांसली तहसील कोटपूतली हाल निवासी ढाणी डालुकावाली तन शुक्लाबास तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड (राजस्थान)
3. राजेश पुत्र रतिराम जाति अहीर निवासी ग्राम कांसली तहसील कोटपूतली ।

–अपीलांट्स

बनाम

1. अणची पत्नि स्व. घीसा
2. रामौतार पुत्र स्व. घीसा
3. लालचन्द पुत्र स्व. घीसा
4. अशोक पुत्र स्व. घीसा
5. विमला पुत्री स्व. घीसा
6. सावित्री पुत्री स्व. घीसा
7. मूली पत्नि स्व. कैलाश
8. संदीप पुत्र स्व. कैलाश
9. रोशनी पुत्री स्व. कैलाश
10. सरस्वती पत्नि प्रभू
11. महावीर पुत्र प्रभू
12. रामनिवास पुत्र प्रभू
13. रामकुंवार पुत्र प्रभू
14. शकुन्तला उर्फ लाली पुत्री प्रभू
15. बनवारी पुत्र सुरजा
16. जयराम पुत्र सुरजा
17. लालचन्द पुत्र सुरजा
18. रतिराम पुत्र सुरजा
19. धर्मपाल पुत्र सुरजा
20. सुनिता उर्फ लाली पुत्री सुरजा
    समस्त जाति अहिर निवासी ग्राम कांसली तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड (राजस्थान)
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड
22. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय सब रजिस्ट्रार कार्यालय कोटपूतली।

– रेस्पोडेन्ट्स

23. गीता पुत्री प्रभाता
24. गोठी पुत्री प्रभाता
25. बिरमा पुत्री प्रभाता

संभागीय आयुक्त

26. लाली पुत्री प्रभाता समस्त जाति अहिर निवासी ग्राम कांसली तहसील कोटपूतली हाल निवासी ढाणी डालुकावाली तन शुक्लावास तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड (राजस्थान)
27. रमेश पुत्र जयदयाल माता मिश्री देवी
28. लाली देवी पुत्री जयदयाल माता मिश्री देवी
29. कमलेश देवी पुत्री जयदयाल माता मिश्री देवी
30 विमला देवी पुत्री जयदयाल माता मिश्री देवी
31. मालती देवी पत्नि रतिराम

समस्त जाति अहिर निवासी ग्राम कांसली तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड (राजस्थान)

– तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तंगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड प्रकरण संख्या 05/2024 आदेश दिनांक 23.08.2024 बाबत् विरासत नामान्तरकरण फुसा उर्फ फुसला पुत्र मन्ना अंतर्गत धारा 135(2)

उपस्थित–

1. श्री विजय सिंह राठौड वकील अपीलान्ट
2. श्री देशराज कलवानिया वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 20 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 21 व 22 की ओर से।

निर्णय

दिनांक– 07.04.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड के निर्णय दिनांक 23.08.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम कांसली तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड में स्थित भूमि खाता संख्या 85 रकबा 1.81 है0 के मृतक खातेदार फूसा उर्फ फूसला पुत्र मन्ना जाति अहीर की विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा मृतक खातेदार फूसा उर्फ फूसला पुत्र मन्ना जाति अहीर की विरासत का नामान्तरकरण आपत्ति प्रकाशन के उपरान्त मुताबिक शपथ पत्र मुताबिक जमाबंदी एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार खोले जाने के आदेश दिनांक 23.08.2024 को दिए गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3 तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 23.08.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट कालूराम पुत्र प्रभाता वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड के निर्णय दिनांक 23.08.2024 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4 अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5 अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 318/0.67, 319/0.05, 321/0.20, 708/0.39, 709/0.45, 710/0.05 कुल किता 06 रकबा 1.81 हेक्टेयर वाके मौजा कांसली के खातेदार फुसला पुत्र मन्ना कौम अहीर निवासी ग्राम कांसली थे। जो कि अविवाहित फौत हो गये थे। जिनके वारिसान उनके पिता मन्ना पुत्र उम्दा थे एवं उम्दा के सगे भाई झुंथा एवं लादू पुत्रान उम्दा व उनके वारिसान है। झूथा पुत्र उम्दा के वारिसान उनके लडके प्रभाता, रामदयाल, हनुमान पुत्रान झूंथा हुए। रामदयाल, हनुमान अविवाहित फौत हो गये। प्रभाता के वारिसान उनके लड़के अपीलांट कालू व पत्नि शांति पत्नि प्रभाता व लडकिया तरतीबी रेस्पोडैन्ट संख्या 23 लगायत 26 गीता, गोठी, बिरमा, लाली पुत्रियान प्रभाता हुए एवं लादू पुत्र उम्दा के वारिसान ज्वाला, प्रभु, सुरजा पुत्रान लादू हुए ज्वाला के वारिसान उनकी लडकी मिश्री देवी पुत्री ज्वाला हुई मिश्री देवी फौत हुई जिनके वारिसान उनके लडके रतिराम व तरतीबी प्रतिवादी रमेश एवं लडकिया तरतीबी प्रतिवादी लालीदेवी, कमलेश देवी, बिमला देवी हुए । रतिराम फौत हो गये जिनके वारिसान उनकी पत्नि तरतीबी प्रतिवादी मालती देवी व लडके राजेश अपीलांट संख्या 03 हुए । प्रभु पुत्र लादू फौत हो गये जिनके वारिसान रेस्पोडैन्ट संख्या 10 सरस्वती व लडके रेस्पोडैन्टसख्या 11 लगायत 13 रामकुंवार, रामनिवास महावीर पुत्रान प्रभु व लडकी रस्पोडैन्ट संख्या 14 शकुन्तला उर्फ लाली पुत्री प्रभु हुए. सुरजा पुत्र लादू फोत हो गए उनके वारिसान उनके लडके रेस्पोडैन्ट संख्या 15 लगायत 19 बनवारी, जयराम, रतिराम, लालचन्द, धर्मपाल पुत्रान सुरजा व लडकी सुनिता पुत्री सुरजा रेस्पोडैन्ट संख्या 20 हुए रेस्पोडैन्ट सख्या 10 लगायत 20 ने रेस्पेडैन्ट संख्या 01 लगायत 09 के साथ साज कर घीसा पुत्र भोजा जिसका की फुसला पुत्र मन्ना से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था का गलत सजरा प्रस्तुत करते हुए मन्ना को उम्दा के स्थान पर रामनारायण का वारिस दर्शित करते हुए व स्वयं के पिता घीसा के दादा किशनसहाय को के लडके उम्दा, भोजा, रामनारायण दर्शित करते हुए तहसीलदार महोदय कोटपूतली के समक्ष गलत दस्तावेज व शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडैन्ट के स्थान पर रेस्पोडैन्ट संख्या 01 लगायत 09 का नाम दर्ज करने किये जाने के आदेश तहसीलदार महोदय से दिनांक 23.08.2024 को प्राप्त कर उपरोक्त आदेश के अनुसार अनुपालना में जरिये नामाकरण संख्या 957 ग्राम कांसली राजस्व रिकार्ड में दिनांक 14.09.2024 को तहसीलदार महोदय से तस्दीक करवा लिया।

राजकीय अनुवादक
जयपुर

अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में मृतक खातेदार फूसा उर्फ फूसला पुत्र मन्ना जाति अहीर के विरासत के इंतकाल दर्ज किये जाने से पूर्व ना तो विधिवत् विधिक वारितान की

जांच की ना ही अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया। फुरासा पुत्र मन्ना के नजदीकी वारिसान् उनके पिता मन्ना के भाई झूंथा एवं लादू पुत्रान उम्दा थे तथा जमाबंदी के अन्य खातों में यह तथ्य बखूबी साबित है परन्तु पटवारी हल्का द्वारा की गई गलत रिपोर्ट के आधार पर एवं रेस्पोडेण्ट द्वारा दी गई गलत शपथ पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य लिये विधि विरूद्ध जाकर उपरोक्त आदेश पारित करने की भारी कानूनी भूल की हैं। उपरोक्त आराजी के मुल खातेदार फुरा उर्फ फुरासा पुत्र एवं उनका देहांत 20.06.1975 को हो गया था। ऐसी सूरत में लगन पश्चात् बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य के उनके वारिसान की विस्तृत अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आदेश दिनांक 23.08.2024 नामातंकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने की भारी की है। प्रकरण में कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य मोजूद नहीं हो जब तक किसी सूरत में राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किये जाने के अधिकार एल.आर. एक्ट की धारा 135 के तहत नामान्तरकरण संबंधित फिसकल कार्यवाही के तहत नहीं किया जा सकता अपितु ऐसी सूरत में कानूनन नियमित वाद के जरिये सक्षम न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड मे खातेकारी अधिकार तय होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना चाहिए। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 09 के पिता घीसा पुत्र भौजा के बुजुर्गान किशनसहाय थे एवं फुरासा पुत्र मन्ना के दादा उम्दा थे। जिनका घीसा पुत्र भौजा से किसी प्रकार का कोई रक्त संबंधित संबंध नहीं था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय किये जाने से पूर्व ना तो साविक रिकार्ड का अवलोकन किया ना ही पूर्व ग्राम पंचायत के सरंपच आदि से विस्तृत जांच कराई एवं बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य लिया गया। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाना आदेश पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 23.08.2024 को निरस्त किया जावे।

6 रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपील में तथ्य छिपाते हुये अपील पेश की है। क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 957 दिनांक 14.09.2024 प्रार्थीगण के पक्ष में खुलने के उपरान्त प्रार्थीगण ने उपरोक्त आराजी को सुमन यादव पत्नि मुकेश कुमार यादव व सोनम यादव पत्नि कृष्ण कुमार यादव जाति अहीर को 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.10.2024 विक्रय कर दी गई है। रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र निष्पादित होने के उपरान्त क्रेतागण सुमन व सोनम ने अपने पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 966 दिनांक 25.10.2024 एवं सोनम के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 967 दिनांक 28.10.2024 स्वीकार हो चुका है। इस तथ्य को अपीलार्थीगण ने माननीय न्यायालय से छुपाया है। प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी में आज खातेदार काश्तकार नहीं है तथा प्रभाती के वारिसान ने भी प्रार्थीगण के पक्ष में दिनाक 16.05.2023 को उपरोक्त आराजी का हकत्याग कर दिया था। अपील में उपरोक्त आराजी के वर्तमान खातेदार सुमन व सोनम को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है उक्त अपील केवल मात्र प्रार्थीगण को हैरान–परेशान करने की नियत से पेश की गई है एवं उक्त अपील नोन ज्वाईन्डर ऑफ पार्टीज के तथ्य के आधार पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। प्रश्नगत प्रकरण में मन्ना, उमदा का जायन्दा

पुत्र था जो कि सन् 1917 में उमदा के भाई रामनारायण के गौद चला गया था, जिसके उपरान्त मन्ना के फूसा उर्फ फूसला पैदा हुआ जो कि नाऔलाद फौत हो गया। फूसा के नाऔलाद फौत होने के उपरान्त मन्ना की उपरोक्त विवादित आराजी उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् वापिस मन्ना की बहन एवं रामनाराण की पुत्री प्रभाती के चली गई एवं प्रभाती के वारिसान ने भी प्रार्थीगण के पक्ष में दिनाक 16.05.2023 को उपरोक्त आराजी का हकत्याग कर दिया था।अतः अपीलांट्सका वादग्रस्त भूमि मे कोई हक अधिकार कानूनन नही बनते है । अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपीलांट्स का उक्त विवादग्रस्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा विधिवत् ही मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसान् की जॉच एवं सार्वजनिक आपत्ति नोटिस प्रकाशित करने के पश्चात् ही सजरा खानदान के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7 हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यो पर विचार किया। अतः न्यायहित में दफा–5 के अंकित कथनो पर विश्वास करते हुये अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 23.10.2024 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार फुसला पुत्र मन्ना कौम अहीर निवासी ग्राम कांसली की विरासत को लेकर है। अपीलांट का कथन है कि ग्राम कांसली तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड में स्थित भूमि खाता संख्या 85 रकबा 1.81 है0 के मृतक खातेदार फूसा उर्फ फूसला पुत्र मन्ना जाति अहीर की विरासत में असल रेस्पोडेन्ट का व उनके पिता का कोई सम्बन्ध वास्ता सरोकार नहीं था। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट्स द्वारा इस संबंध में कोई पुख्ता दस्तावेज एवं साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि असल रेस्पोडेण्ट्स मृतक खातेदार फूसा उर्फ फूसला पुत्र मन्ना के विधिक कानूनी वारिसान् नहीं है। चूंकि उक्त विवादित आराजी मृतक फूसा उर्फ फूसला पुत्र मन्ना की है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सभी वारिसान् के बयान गवाह भी किये गये हैं जो कि पत्रावली पर मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा विधिवत् पटवारी हल्का से प्राप्त जॉच रिपोर्ट का अवलोकन कर एवं वारिसान् की आपत्ति प्रकाशन के उपरान्त मुताबिक शपथ पत्र मुताबिक जमाबंदी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार ही मृतक खातेदार फूसा उर्फ फूसला पुत्र मन्ना के विरासत का नामान्तरकरण जायज वारिसान के नाम खोले जाने के आदेश दिये गये हैं जिसके रेस्पोडेण्ट्स विधिक अधिकारी हैं। चूंकि नामान्तरकरण एक फिसीकल प्रोसेंडिग है इसके तहत किसी के अधिकारों का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। अगर अपीलाट्स को अधिकार तय कराने हैं तो सक्षम न्यायालय से ही अधिकारों को निर्धारण किया जा सकता है। अपीलांट्स अपने हक–हकूक अधिकार प्राप्त करने के लिए नियमित वाद के जरिये सक्षम न्यायालय में

विभागीय आयुक्त
जयपुर

चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

<u>**अतः आदेश है कि:**</u> अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड का निर्णय दिनांक 23.08.2024 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर